दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया

अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसे लागू करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय में जाना पड़ता है। सामान्यतया किसी भी सिविल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया होती है और अगर यह प्रक्रिया निश्चित नहीं होती है तो समस्याओं का समाधान होने में असाधारण विलम्ब हो जाता है। ऐसी समस्या के समाधान हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पारित किया गया जिसमें किसी भी सिविल वाद के न्यायालय में प्रस्तुत होने के पश्चात् उसके निस्तारण तथा उसके पश्चात् उससे संबंधित डिक्री के नि पादन की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। सिविल अर्थात् दीवानी वादों को दाया करने से लेकर अन्तिम निस्तारण तक की प्रक्रिया से जन साधारण को परिचित कराया जाना उस पुस्तक का अभीष्ट उद्देश्य है।

दीवानी वाद-

दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी भी सम्पत्ति या अधिकारों से संबंधित जो वाद हैं उन्हें दीवानी वाद के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं अर्थात् वे सभी मुकदमे जिनमें किसी हित चाहे निजी हो अथवा सार्वजनिक हो, किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार के लिए दो व्यक्तियों में जो विवाद होता है और उसके परिणामस्वरूप जो वाद न्यायालय में दायर किये जाते हैं उन्हें दीवानी वाद कहते हैं। मोटे तौर पर दीवानी वादों में निम्न प्रकार के वाद शामिल किये गये हैं:-

1. कर्ज या अन्य किसी धनराशि की वसूली से संबंधित वाद।
2. नागरिक अधिकारों से संबंधित वाद जैसे कापीराइट, सड़क पर आवागमन इत्यादि से संबंधित वाद।
3. चल या अचल सम्पत्ति से संबंधित वाद।
4. सुखधिकार से संबंधित वाद अर्थात् व्यक्तिगत रास्ते का उपयोग, नाली, नींव इत्यादि से संबंधित वाद।
5. मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच विवाद।
6. परिवारिक विवाद जिसमें वैवाहिक एवं भरण-पोषण से संबंधित विवाद भी शामिल हैं।
7. किसी करार या समझौते से संबंधित विवाद।
8. साझेदारी फर्म या लेखा-जोखा से संबंधित विवाद।
9. धार्मिक अधिकारों से संबंधित विवाद।
10. सार्वजनिक स्थलों से संबंधित विवाद।
11. मोटर दुर्घटना प्रतिकर हेतु वाद इत्यादि।

दीवानी न्यायालय (संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं प्रकृति)-

दीवानी वादों के निस्तारण के लिए उत्तराखण्ड में निम्न प्रकार के दीवानी न्यायालय कार्य कर रहे हैं:-

1. अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
2. सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
3. अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
4. सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
5. लघु वाद न्यायाधीश
6. अपर जनपद न्यायाधीश
7. जनपद न्यायाधीश
8. उच्च न्यायालय

अपर सिविल जज (जू0 डि0)-

इस न्यायालय में ऐसे मुकदमें सुनवायी के लिए ट्रान्सफर होकर प्राप्त होते हैं जो सिविल जज (जू0 डि0) की अदालत में दाखिल किये गये हैं। उस न्यायालय को केवल ऐसे मुकदमों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिनकी मालियत रु0 25,000/- तक है।

सिविल जज (जू0 डि0)-

यह न्यायालय दीवानी मामलों के लिए सबसे निचली स्थायी अदालत है जहां दीवानी वाद दायर किये जाते हैं। ऐसे समस्त दीवानी मुकदमें जिनकी मालियत रु0 25,000/- तक है, इस न्यायालय में दायर किय जाते हैं।

अपर सिविल जज (जू0 डि0)-

यह सिविल जज (जू0 डि0) के तुरन्त बाद की ऊपरी अदालत है। इस न्यायालय द्वारा ऐसे मुकदमें सुने जाते हैं जिन्हें सिविल जज (जू0 डि0) की अदालत में ट्रान्सफर के द्वारा प्राप्त किया गया है। इस न्यायालय को असीमित मालियत के मुकदमों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

सिविल जज (सी0 डि0) -

यह न्यायालय ऐसे दीवानी वादों को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रारम्भिक कनिष्ठतम न्यायालय है जिनकी मालियत रु0 25,000/- से ज्यादा हो। इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार पर कोई बंदिश नहीं है और उसे रू0 25,000/- से ऊपर की मालियत के सभी दीवानी मुकदमों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही साथ सिविल जज (जू0 डि0) के निर्णय के विरूद्ध ऐसे मामलों में अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को प्राप्त है जिसे जिला जज द्वारा उक्त न्यायालय में सुनवायी हेतु ट्रान्सफर किया गया है।

लघु वाद न्यायाधीश -

जिन जनपदों में लघु वाद न्यायालय कार्यरत हैं वहां रु 5000/- तक की वसूली के संबंध में दावा लघु वाद न्यायालय में दाखिल किया जाता है। साथ ही मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच में किरायेदारी करार के तहत विभिन्न वादों की सुनवायी भी इस न्यायालय में की जाती हैं किरायेदारी से संबंधित ऐसे समस्त वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है जिनकी मालियत रु0 25,000/- तक है।

अपर जिला जज -

इस न्यायालय को उन समस्त दीवानी वादों का क्षेत्राधिकार है जिसे जिला जज द्वारा सुना जाता है। इस न्यायालय में जिला जज द्वारा ट्रान्सफर किये गये मुकदमों को सुनवायी हेतु प्राप्त किया जाता है।

जिला जज -

यह न्यायालय सिविल जज (सी0 डि0) से उच्चतर एवं जनपद न्यायालय की सर्वोच्च अदालत है, जहां सिविल जज (जू0 डि0) एवं सिविल जज (सी0 डि0) द्वारा दीवानी वादों के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनी जाती है जिसका विवरण संक्षिप्त में निम्न है:-

क-सिविल जज (जू0 डि0) के निर्णय के विरूद्ध अपील

सिविल जज (जू0 डि0) द्वारा निर्णीत समस्त दीवानी वादों में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील जिला जज के न्यायायल में प्रस्तुत की जाती है। जिसे या तो जिला जज स्वयं सुन सकता है अथवा सुनवायी के लिए अपर जिला जज की अदालत में ट्रान्सफर कर सकता है।

ख- सिविल जज (सी0 डि0) के निर्णय के विरूद्ध अपील -

ऐसे दीवानी वाद जिनकी मालियत रू0 पांच लाख तक है, मे सिविल जज (सी0 डि0) द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील जनपद न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है परन्तु ऐसे वाद जिनकी मालियत रू0 पांच लाख से ज्यादा हो उनमें सिविल जज (सी0 डि0) द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होती है।

जिला जज के मौलिक अधिकार क्षेत्र -

कुछ विशेष वादों में जिला जज को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं अर्थात् ऐसे मामलों से संबंधित मुकदमे केवल जिला जज के समक्ष ही प्रस्तुत किये जाते हैं जैसे मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित मुआवजे के लिए वाद, नाबालिगों के लिए अपने अभिभावक की नियुक्ति करने हेतु प्रार्थना-पत्र (जहां परिवार न्यायालय कार्यरत न हो) इत्यादि

उच्च न्यायालय -

यह राज्य की सर्वोच्च अदालत है, जिसको मौलिक एवं अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। दीवानी मामले में रू0 पांच लाख तक की मालियत के वाद में सिविल जज (जू0 डि0) द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है और रू0 पांच लाख से

अधिक मालियत के वादों में सिविल जज (सी0 डि0) द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। संविधान में प्रदत्त किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुच्छेद 226 के अर्न्तगत रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार शासन से संबंधित विभाग द्वारा नागरिक के किसी अधिकार का उल्लंघन करने की स्थिति में भी शासन के विरूद्ध रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती हैं उच्च न्यायालय को ऐसी किसी भी घटना का स्वंय ही संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार है जो कि जन-स्वास्थ्य, जन मंगल एवं जन नीति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा हो।

उच्चतम न्यायालय -

यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है। इस न्यायालय द्वारा की गयी कानूनी व्याख्या देश के समस्त न्यायालयों पर बाध्य है। दीवानी मामलों से संबंधित जिन मुकदमों में उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवायी के योग्य है तो ऐसे मुकदमों में उच्चतम न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इसके साथ ही साथ किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशेष अनुमति लेकर याचिका भी प्रस्तुत की जा सकती है। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 32 के अर्न्तगत मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी अधिकार के हनन होने की स्थिति में सीधे रिट याचिका भी प्रस्तुत की जा सकती है।

दीवानी वाद का दायर किया जाना-

दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई भी दीवानी वाद सर्वप्रथम उस कनिष्ठतम दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उस वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार रखता हो। इसका विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। चूंकि दीवानी वाद के सफल संचालन के लिए कुछ कानूनी तकनीकियों को समझना आवश्यक है।

अत: जन-सामान्य जानकारी के लिए कुछ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है:-

दीवानी वाद की प्रक्रिया-

दीवानी वाद प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता आवश्यक है:-

1. जिस व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, उसे वादी कहते हैं और जिस व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा दायर होता है, उसे प्रतिवादी कहते हैं। दोनों व्यक्तियों को उस वाद से संबंधित पक्षकार या फरीकैन कहा जाता है।

2. यह तय कर लिया जाना आवश्यक है कि किन-किन व्यक्तियों का मिलकर मुकदमा दायर करना है अर्थात् किन-किन व्यक्तियों को मुकदमे का वादी बनाया जाना है।

3. इसी प्रकार मुकदमे की प्रकृति को देखते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दायर किया जाना है अर्थात् उस मुकदमे में किन्हें प्रतिवादी बनाया जाना है। यहां पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति उस मुकदमे से संबंधित हो अर्थात् जिसे प्रतिवादी न बनाये जाने पर वह मुकदमा चल नहीं सकता है अथवा जिस किसी के विरूद्ध न्यायालय से कोई राहत मांगी जा रही है। ऐसे व्यक्ति को उस मुकदमे में प्रतिवादी बनाया जाना अति आवश्यक है।

4. मुकदमे में जो-जो दावे (क्लेम) संभव हैं, वह समस्त दावे मांगे जाने चाहिए। क्योंकि अगर कोई क्लेम छूट गया है और मुकदमा निर्णित हो चुका है तो उसके पश्चात् अलग से उस क्लेम के लिए पुन: दावा दायर नहीं हो सकता।

5. अगर वादी अपना दावा किसी दस्तावेज के आधार पर करता है तो उस दस्तावेज की मूल प्रति भी मुकदमे के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परन्तु अगर कोई दस्तावेज मुकदमा दायर करते समय वादी के पास नहीं है अथवा वह दस्तावेज का हवाला दावे के साथ संलग्न किये जा रहे दस्तवेजों की सूची में अवश्य दिया जाना चाहिए।

दावा सुनने की न्यायिक प्रक्रिया-

1. दावे के संबंध में जो वाद न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे वाद पत्र कहते हैं। जैसे ही वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय का अधिकारी (मुन्सरिम) अपनी आख्या के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करता है, जिस पर न्यायालय द्वारा उसे पंजीकृत किये जाने का आदेश एवं दूसरे पक्षकार को सम्मन जारी किये जाने का आदेश किया जाता है। जब दूसरे पक्षकार पर सम्मन तामील हो जाता है और वह पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर वादी को वाद पत्र का उत्तर प्रस्तुत करता है तो उसे लिखित कथन या जवाबदावा कहा जाता है।

2. सामान्यतया सम्मन जनपद न्यायालय में कार्यरत नजारत के किसी आदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाता है। अगर सम्मन दूसरा पक्षकार लेता है और उसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होता अथवा सम्मन लेने से इन्कार करता है और

आदेशवाहक ऐसी आख्या न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करता है तो न्यायालय द्वारा दूसरे पक्षकार के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवायी प्रारम्भ कर दी जाती है।

3. अगर दूसरे पक्षकार पर सम्मन तामील नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश उसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाने का आदेश दे सकता है और डाक भेजे जाने के बाद एक माह तक अगर दूसरा पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कोई उत्तर नहीं देता है अथवा उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा यह माना जा सकता है कि वह सम्मन संबंधित प्रतिवादी को मिल चुका है और तद्नुसार उसके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवायी प्रारम्भ की जा सकती है।

4. अगर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया सम्मन वापिस किया जाता है तो ऐसे स्थिति में उस सम्मन को न्यायालय के आदेश पर और वादी के व्यय पर उसे किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया जा सकता है जो कि उस क्षेत्र में प्रचलित हो जहां प्रतिवादी निवास करता है, व्यापार करता है अथवा सामान्यतया रह रहा है। ऐसे समाचार-पत्र जिसका प्रसार पूरे प्रदेश में अथवा पूरे देश में होता है, उसमें प्रकाशन के माध्यम से सम्मन भेजे जाने की सर्वोत्तम विधि मानी जानी चाहिए। यहां यह बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी आवश्यक है कि कभी भी न्यायालय का सम्मन प्राप्त होने पर उसे लेने से इन्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यायालय एक तरफा कार्यवाही अथवा एक पक्षीय सुनवायी का आदेश दे सकता है बल्कि सम्मन लेकर उचित जवाब प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वादी ने प्रतिवादी को वाद पत्र तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तुरन्त उपलब्ध नहीं करवायी हैं तो उन्हें न्यायालय से आग्रह करके प्राप्त किया जा सकता हैं जब प्रतिवादी का जवाब दावा प्राप्त हो जाता है तो विवाद के जो मुख्य बिन्दु होते हैं, उनको छाँट कर वाद बिन्दु बनाये जाते हैं जिन्हें तनकीह भी कहते हैं। वादी एवं प्रतिवादी को उसके पक्चात् कागजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता हैं जब उभ्य पक्षकार अपने-अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो वादी द्वारा प्रतिवादी के दस्तावेजों को एवं प्रतिवादी द्वारा वादी के दस्तावेजों को या तो स्वीकार करना पड़ता है या इन्कार करना पड़ता है। अगर दस्तावेजों से दूसरे पक्षकार ने इन्कार कर दिया है तो ऐसी स्थिति में जिस पक्षकार ने उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है उसे सिद्ध करना पड़ता है। उसके पश्चात् पहले वादी एवं उसके बाद प्रतिवादी को अपने-अपने गवाह प्रस्तुत करने होते हैं संबंधित पक्षकार को दूसरे पक्षकार के गवाहों से जिरह करने का मौका दिया जाता है यह कार्यवाही कोई भी पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से करवा सकता है। इस बीच यदि वादी बिना किसी कारण के गैरहाजिर हो जाता हैं तो उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और यदि प्रतिवादी गैरहाजिर हो जाता है तो वाद पर एकपक्षीय सुनवायी करके निर्णय दे दिया जाता है। अगर मुकदमा वादी की गैरहाजिरी में खारिज हो गया है तो वादी मुकदमें को पुनः स्थापित करने के लिए न्यायालय में अर्जी दे सकता है। इसी प्रकार अगर मुकदमें में प्रतिवादी की गैरहाजिरी के कारण एकतरफा सुनवायी का आदेश दिया गया है तो उसे निरस्त करने के लिए प्रतिवादी न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है परन्तु न्यायालय का यह दायित्व है कि ऐसी अर्जी पर यह गौर करें कि क्या संबंधित पक्षकार के गैरहाजिर होने का कोई समुचित आधार था? अगर ऐसा आधार नहीं पाया जाता है तो न्यायालय उस अर्जी को खारिज कर सकता है।

गवाहों को सम्मन-

वाद बिन्दु अथवा तनकीह बनाये जाने के पश्चात् मुकदमे में गवाही शुरू होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को अपनी-अपनी गवाही पेश करने का बराबर अवसर दिया जाता है। गवाही पेश करने से पहले गवाहों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है तथा न्यायालय के आदेशानुसार गवाहों को खर्चा एवं सम्मन भेजने के लिए शुल्क (तलबाना) भी पहले जमा किया जाना होता है। पक्षकार स्वयं भी गवाहों को अदालत में पेश कर सकते हैं सम्मन की तामीली होने के बाद निर्धारित तिथि पर गवाहों का बयान देने के लिए न्यायालय में अवक्य उपस्थित हो जाना चाहिए अन्यथा न्यायालय द्वारा उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है अथवा उन्हें जमानती या गैर जमानती वारण्ट द्वारा न्यायालय में तलब किया जा सकता है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों का बयान गवाहों के बयानों से पहले ही ले लिया जाता है।

दीवानी वादों का क्षेत्राधिकार-

दीवानी मुकदमा उस स्थान पर सबसे निचली एवं सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना होता है जहां उस मुकदमे से संबंधित भूमि सम्पत्ति उसका संबंधित भाग या विषय मौजूद हो अथवा जहां पर प्रतिवादी निवास करता है अथवा कोई कारोबार करता हैं जिलों में सिविल जज (जू0 डि0) एवं सिविल जज (सी0 डि0) के न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी रहता है और जिस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में मुकदमे से संबंधित सम्पत्ति या विषय अवस्थित है अथवा प्रतिवादी निवास अथवा कारोबार कर रहा है उसी न्यायालय में वह मुकदमा दायर किया जा सकता है।

अपील-

सिविल जज (जी0 डि0) या (सी0 डि0) के निर्णय के विरूद्ध अधिकतम 30 दिन के अन्दर जिला अदालत में अपील किया जाना होता है और अगर जिला जज के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन के अन्दर अपील या निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है।

निगरानी –

न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश जिसके विरूद्ध अपील किये जाने का प्राविधान न हो अथवा अपील न की गयी हो उस उच्चतम न्यायालय में उस निर्णय क निगरानी किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे उस मुकदमे से सम्बन्धित अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके लिये भी समय सीमा जिला जज की अदालत के मामले में 30 दिन तथा उच्च न्यायालय के मामले में 90 दिन निर्धारित की गयी है।

सरकार के विरूद्ध दावा –

यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरूद्ध दावा दायर करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम दावा दायर करने के विषय में सरकार को नोटिस देना पड़ता है जिसे धारा 80 की नोटिस कहते हैं इस नोटिस में दावा दायर करने वाले व्यक्ति को अपना दावा एवं अपनी पीड़ा का पूरा विवरण देना चाहिए। यह नोटिस सरकार को इस विषय के लिए नियत अधिकारी के ही माध्यम से दिया जा सकता है जो निम्न प्रकार है:-

1. यदि दावा भारत सरकार के विरूद्ध करना हो तो नोटिस को सचिव, सम्बन्धित विभाग के माध्यम से देना चाहिए।
2. यदि दावा रेलवे के विरूद्ध हो तो नोटिस संबंधित मण्डल के जनरल मैनेजर के माध्यम से देना चाहिए।
3. यदि दावा उत्तरांचल सरकार के विरूद्ध करना हो तो नोटिस संबंधित विभाग के सचिव अथवा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

अगर वादी के समक्ष ऐसी विपन्नता आ गयी हो जिसके कारण नोटिस दिये जाने की स्थिति में उसके दावे का उददेश्य ही समाप्त हो जाने का भय है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से सरकार को बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन न्यायालय बिना सरकारी पक्ष को सुने किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं कर सकता हैं। यहां बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी सरकारी अधिकारी के विरूद्ध उसको कार्यालय क्षमता के आधार पर दावा प्रस्तुत करना है तो सरकारी को प्रतिवादी अवश्य बनाने चाहिए।

सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत वादों में समझौता –

यह नीतिगत निर्णय है कि किसी भी शासकीय वाद में अगर समझौता जन नीति के विरूद्ध नहीं है तो शासन हमेशा समझौता करने के लिए तैयार रहता है यदि वाद में दर्शाये गये तथ्य सही हों और वादी द्वारा जो दावा किया गया है, वह नियमानुकूल हो तो शासन द्वारा समझौते के प्रयास अवश्य किये जायेंगे अर्थात् शासकीय वादों में समझौते की प्रक्रिया न्यायालय में प्रचलित होती जा रही है जिसका लाभ यह हो रहा है कि जनता को अपना समय नष्ट किये बिना त्वरित और सुलभ न्याय मिल जाता है और अदालतों के गलियारे में अपना समय व्यर्थ में गवाने से पक्षकार बच जाता है। मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित वाद में, सरकार द्वारा भूमि अर्जन के मामलों में एवं मुआवजों से संबंधित किसी अन्य प्रकार के दीवानी वादों में परम्परागत एवं स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से सतत् समझौता कराया जा रहा है। उसी प्रकार जहाँ परिवार न्यायालय स्थित है वहाँ भी और जहाँ परिवार न्यायालय नहीं हैं, वहाँ भी पारिवारिक विवादों को भी सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराये जाने का निरन्तर प्रयास हो रहा है और काफी मात्रा में ऐसे वादों को सुलह समझौते के माध्यम से सुलझाया जा रहा है। जिसमें संबंधित न्यायालय भी अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर रहे हैं।

नाबालिगों की ओर से अथवा उनके विरूद्ध दीवानी वाद –

भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कोई भी नाबालिग किसी भी प्रकार का समझौता अथवा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही स्वयं करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि किसी नाबालिग की ओर से दावा किया जाना है तो उसे उसके मित्र (Next friend) के माध्यम से प्रस्तुत कराना पड़ेगा परन्तु यह मित्र वहीं हो सकता है जिसका नाबालिग के विरूद्ध कोई दावा न हो अथवा उसके हित नाबालिग के विरूद्ध न हों। यह भी आवश्यक है कि वह मित्र नाबालिग के हित के लिये ही दावा करने के लिए तत्पर रहे। इसी प्रकार यदि किसी दावे में किसी नाबालिग को प्रतिवादी बनाया जा रहा है तो उसके हित को संरक्षित रखने के लिए अदालत संरक्षक नियुक्त कर सकती है। इसके लिए वादी को न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के साथ ही साथ यह प्रार्थना-पत्र भी देना होगा कि नाबालिग प्रतिवादी के लिए संरक्षक नियुक्त किया जाय। अगर न्यायालय को वाद की कार्यवाही के दौरान किसी स्तर पर यह मालूम हो जाये कि कोई भी मित्र अथवा संरक्षक नाबालिग के

हित में सही प्रकार की पैरवी नहीं कर रहा है तो न्यायालय को स्वयं उस मित्र संरक्षक को हटा देने का अथवा उसके स्थान पर नवनियुक्ति का अधिकार सुरक्षित है।

पक्षकार की मृत्यु –

अपील या निगरानी या अन्य किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अगर किसी प्रातिवादी या विपक्षी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु अथवा मृत्यु के ज्ञान से 90 दिन के अन्दर वादी को मृतक प्रतिवादी या विपक्षी के उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में मृतक प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। अगर वादी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को स्वयं प्रार्थना–पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर किसी भी कार्यवाही के अभाव में वाद अपील या निगरानी समाप्त (Await) हो जायेगा। किसी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् अगर कोई पक्ष सम्पत्ति की प्रकृति को बदलने की कोशिश करना चाहता है तो पीड़ित पक्षकार उसे रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार को यह भी चाहिए कि वह न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके कोई आयुक्त नियुक्त करने का निवेदन कर दे ताकि आयुक्त मौके पर जाकर, नक्शा बनाकर अपनी आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें और यह स्पष्ट हो सकें कि प्रारम्भिक स्तर पर विवादित सम्पत्ति की प्रकृति क्या थी और उसमें किस सीमा तक परिवर्तन किया जा चुका है।

निर्णय से पूर्व प्रतिवादी/विपक्षी की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश–

न्यायालय में चल रहे वाद के दौरान अगर विपक्षी द्वारा अपनी चल अथवा अचल सम्पत्ति को इस दुर्भावना से बेचा जा रहा है कि न्यायालय में चल रहे वाद में उसके विरूद्ध डिक्री की सन्तुष्टि न हो सके अथवा अदालत द्वारा दिया गया निर्णय निष्प्रभावी हो जाये अथवा विपक्षी अपनी चल सम्पत्ति को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा देना चाहता है ताकि न्यायालय का भावी आदेश निष्प्रभावी हो जाये तो ऐसी स्थिति में वादी शपथपूर्वक न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र दे सकता है कि प्रतिवादी को निषेधाज्ञा के माध्यम से ऐसा करने से रोक दिया जाये। फिर भी यदि न्यायालय यह समझे कि निषेधाज्ञा जारी करने पर भी विवादित सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं हो सकती तो न्यायालय उक्त सम्पत्ति की मालियत के बराबर प्रतिपूर्ति न्यायालय में जमा कराये जाने हेतु निर्देषित कर सकता है अथवा न्यायालय उक्त सम्पत्ति को अगले आदेश तक कुर्क भी कर सकता है। जो कि डिक्री को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो अत: वादी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रतिवादी की सम्पत्ति का पूर्ण विवरण तथा मालियत अदालत के समक्ष पेश करे जिसे वह कुर्क कराने हेतु आवेदन कर रहा है।

निर्धन द्वारा वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

यदि कोई व्यक्ति अति निर्धन है तथा वह न्यायालय में दावा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है अर्थात् वह कोर्ट फीस नहीं दे सकता तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन वाद चलने के बाद तथा निर्णय होने से पहले यदि ऐसा व्यक्ति कोई हित प्राप्त करता है तो उसका हिसाब भी अदालत में विचारणीय होगा। उपरोक्त परिस्थिति में दावा चलने की आज्ञा देने से पहले न्यायालय वादी की सम्पत्ति एवं साधन के विषय में अपनी तसल्ली के लिये जांच करवा सकता है और यदि वादी को निर्धन पाया जाता है तो उसका दावा पंजीकृत कर लिया जायेगा और आम विवादों की तरह न्यायालय में चलेगा जिसके लिये वादी को न्यायिक शुल्क अदा करने की छूट दे दी जायेगी। यदि वादी अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्यायालय द्वारा सरकार को देय होगी परन्तु यदि वादी का दावा असफल हो जाता है तो उसके न्याय शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार को ही करनी होगी।

नि:शुल्क विधिक सहायता –

जन सामान्य को परिचित कराने के उददेश्य से यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा इसके अर्न्तगत कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं तहसील विधि ाक सेवा समितियां ऐसे निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करा रही हैं जिनकी वार्षिक आय रु0 1,00,000/– से अधिक न हो। नि:शुल्क विधिक सेवाओं के अर्न्तगत न्यायालय में होने वाले समस्त खर्चों को प्राधिकरण की आरे से वहन किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो नि:शुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं उन्हें नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा एवं अन्य अनुशांगिक वाद व्यय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

डिक्री की इजराय –

यदि प्रतिवादी या विपक्षी न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश या डिक्री को मानने से इन्कार करता है तो पीड़ित पक्षकार न्यायालय के उक्त आदेश एवं डिक्री के निष्पादन (कार्यान्वयन) हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि विपक्षी

पक्षकार न्यायालय के आदेशों को मानने से इन्कार करता है तो न्यायालय द्वारा उसकी सम्पत्ति कुर्क करायी जा सकती है तथा रुपये अदा न करने पर उसकी गिरफ्तारी तक करायी जा सकती है। यदि विपक्षी से कोई मकान खाली कराना है या तामीर गिराना है तो न्यायालय द्वारा न्यायालय के अधिकारियों तथा पुलिस की सहायता से उस सम्पत्ति का कब्जा डिक्री धारक को दिलाया जा सकता है तथा तामीर ध्वस्त कराये जाने के लिए न्यायालय आदेशित कर सकता है।

समय सीमा –

साधारणयता न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेशों के पारित हाने पर उसके निष्पादन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए परन्तु आदेशात्मक आदेश एवं डिक्री के निष्पादन हेतु 3 वर्ष के अन्दर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

विस्तृत जानकारी –

दीवानी वादों में अपनायी जा रही न्यायिक प्राक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु निम्नलिखित में से किसी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है, जिनके द्वारा आवश्यकता एवं नियम के अनुसार विस्तृत जानकारी एवं नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है:–

1. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव या अन्य अधिकारीगण।
2. उच्च न्यायालय नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव।
3. प्रत्येक जनपद के दीवानी न्यायालय में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष /जनपद न्यायाधीश एवं सचिव।
4. तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (सिविल जज, सीनियर डिवीजन) अथवा सचिव/तहसीलदार।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –